SBC-A के ताल्लुक से अकसर पुछे जानेवाले सवालात या शक व शुभात (FAQ)

Without References

Category-A :- SBC-A सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जरुरी बातें

१) SBC-A सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल करें ?

उत्तर : १३-१०-१९६७ का रिहाईश का सबूत जहॉ का हो वहॉ के ई-सेवा केंद्र से राबता कायम करें. अगर वहॉ ई-सेवा केंद्र ना हो तो वहाँ के तहसिलदार या प्रांत ऑफिस से मालुमात हासिल करें.

२) SBC-A प्रमाणपत्र दाखले के लिए दरकार दस्तावेज.

उत्तर : अ) उमेदवार अगर स्कूल पढ रहा है तो उसका बोनाफाईड सर्टिफिकेट जो उसकी स्कूल से मिलेगा.

ब) अगर उमेदवार स्कूल छोड चुका है तो उसका एल.सी/टी.सी.

क) १३-१०-१९६७ के पहले की रिहाईश का सबुत देना लाज़मी है. ये सबुत उम्मिदवार के या उस के वालीद **या** वालीद की तरफ से किसी भी रिश्तेदार का एल.सी. **या** जन्म दाखला **या** महसुली दाखला (खरेदीखत/७/१२ का उतारा/सिटी सर्वे का उतारा) **या** ग्रामपंचायत रेकॉर्ड (ग्राम नोंदवही क्र. १४/कोतवार पुस्तक/नॅशनल डोमिसाइल नोंदणी) **या** सर्व्हिस बुक का पहला सफा **या** घर भाडा रसीद/पावती **या** लाईट बिल. **या** २८-०८-२०१४ के जि.आर के मुताबीक तलाठी **या** ग्रामसेवक का दाखला

ड) रेशनकार्ड.

इ) उमेदवार का पास्पोर्ट साईज रंगीन फोटो.

ई) छपा हुवा अर्ज और २८-०८-२०१४ के जि.आर के मुताबीक ॲफिडेवीट जो सेतु में ही मिलता है.

३) एल.सी/टी.सी. मे इस प्रर्वग का कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए ?

उत्तर : एल.सी./टी.सी के कॉलम नं. १ यानी नाम के कॉलम में लिखा होना चाहिए.

४) SBC-A के फायदे क्या क्या हैं ?

उत्तर : अ) महाराष्ट्र राज्य के मातेहत चलने वाले स्कूल और कॉलेजेस में दाखले/प्रवेश के लिए ५% आरक्षण रखा गया है. जिस से लाखो रुपये डोनेशन से नजात मिलेगीं.

ब) इस कॅटीगिरी से स्कूल/कॉलेजेस में दाखले के बाद ट्यूशन फी मे हजारो रुपये की छुट मिलेगीं.

क) रियासती हुकुमत के मातेहत तमाम महकमें/कार्यल्य में नियुक्ती या पदों के ताल्लुक से ५% आरक्षण रखा गया है. जिस की वजा से हर कार्यलाय मे ५% कर्मचारी मुस्लीम प्रर्वग के नज़र आयेगे.

५) अगर एल.सी/टी.सी के कॉलम नं. १ मे भी आप का प्रर्वग नही लिखा गया हो तो ?

उत्तर : किसी मस्जि़द **या** मद्रसा **या** रजिस्टर संस्था के अध्यक्ष **या** तलाठी **या** ग्रामसेवक का सर्टिफिकेट जोडना होगां. जैसे मै, मो. अयान परवेज अह. को कई बरसो से जानता हू व शेख/सय्यद/खान/पठाण/मिर्झा बिरादरीसे ताल्लुक रखते है.

Category-B इस ताल्लुक से दिगर तपसीलात.

१) SBC-A यानी क्या ?

उत्तर : रियासते महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए Social Backward Category-A (विशेष मागास प्रवर्ग (अ) इस नाम से महाराष्ट्र के पसमानदा प्रवर्ग की फहेरिस्त में शामिल किया गया है.

२) SBC-A सर्टिफिकेट और क्रीमीलेअर सर्टिफिकेट एक साथ मिल सकते है क्या ?

उत्तर : दोनो सर्टिफिकेट एक साथ दिये जा सकते है.

३) SBC-A में किन किन मुसलमानों के प्रवर्ग को शामिल किया गया है ?

उत्तर : धोबी मुस्लिम,गराळी मुस्लिम,गारोळी,नाई मुस्लिम या नावक या नावद,शेख या शेक,मुगल, सैय्यद,पठाण,खान,कादरी,पिरजादे,मौलवी या मौलाना,खाकरुब या फरास,मिर्झा,बेग,अहमदी,नक्शबंदी,मच्छीमार मुस्लिम, तांदेल मुस्लिम,पटवा मुस्लिम,कागजी या कागडी मुस्लिम,काझी,टकनकर,चिश्ती,मुस्लिम शाह,मुस्लिम पटेल,फारुकी,सिद्दीकी,मालवी,मीर,हकीम,मुल्ला या मुल्लाजी या बोहरी मुल्लाजी,जमादार,मुकादम,नकवी, रिजवी,हुसैन या हुसैनी,कामली या कासमी,मेंहदी,हैदरी,अलवी,उस्मानी,नुरी,रहेमानी,मोहम्मदी,चाउस, फकीह,सुफी या वारिस या अशरफी, सुतारी मुस्लिम,ख्वाजा. (९ जुलाई २०१४ के जि.आर के पेज नं ९)

४) नॉन क्रिमि लेअर की मर्यादा क्या है ?

उत्तर : सालाना ६ लाख रुपये तक है.

५) SBC-A सर्टिफिकेट की सायनिंग ॲथोर्टी कौन है ?

उत्तर : १३-१०-१९६७ के पहले की रिहाइश का पुरावा जहाँ का दिया जाऐगां वहाँ के विभागीय उप जिल्हाधिकारी/प्रांत (SDO) सायनिंग ॲथोर्टी. जैसे एक उमेदवार के वालिद का १३-१०-१९६७ के पहले का एल.सी. अगर जळगांव का है तो जळगांव के प्रांत ऑफिस से ही दाखला लेना होगा भले ही उमेदवार या उसका परिवार १३-१०-१९६७ के बाद मुंबई में स्थायीक हो चुका हो.

Category-C :- SBC-A के ताल्लुक से जि.आर.

१) SBC-A हुकुमत के किस हुक्मनामे से वजुद में आई है ?

उत्तर : ९ जुलाई २०१४ के अध्यादेश (Ordinance) के मुताबिक.

२) SBC-A के दाखले मिलने के ताल्लुक से कौनसा जि.आर देखा जाए ?

उत्तर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग २२ जुलाई २०१४ और २८ ऑगस्ट २०१४ के जि.आर देखे जाए.

३) SBC-A को १००% बिंदु नामावली में शुमार किए जाने का जि.आर और तपसील बताईए?

उत्तर : सामान्य प्रशासन विभाग के २४ जुलाई २०१४ के जि.आर के मुताबीक नं. १६,३८,५६,७६,९४ इन बिंदुओं पर SBC-A का शुमार किया जाएगा.

४) किसी इलाके का प्रांत सभी जरुरी दस्तावेज देने के बाद भी और जादा दस्तावेज की मांग करे तो ?

उत्तर : उसे कहिए के रुल २०१२ के रुल ५(१२) के मुताबिक तफसिल से वजा बतलाकर हमारा अर्ज नामंजुर कर के, नामंजुरी पत्र दे दे. ऐसे नामंजुरी पत्र को बगैर देर लगाए फौरन e-mail. dilshad686@gmail.com पर मेल करे और साथ ही रुल २०१२ के रुल ७ के मुताबीक व्हॉलिडिटी कमीटी को ना मंजुरी के ३० दिन के अंदर अपील करे.

५) अ) SBC-A का ऑर्डिनन्स, तमाम जि.आर और हेल्पलाईन के तमाम सवाल व जवाब कहाँ से हासिल करे.?

ब) SBC-A सर्टिफिकेट और व्हॅलिडिटी के लिए लागु रुल २०१२ कहाँ से हासिल करे ?

उत्तर : अ) www.mwodhule.com के होम पेज की बाई तरफ अदर लिंक्स पर किलीक करे.

ब) www.mwodhule.com के होम पेज के हेडर पर स्किम/योजना पर किलीक करने के बाद **एफ-१** पर किलीक करे.

Category-D :- SBC-A कानुनी नुकात

१) क्या भारत में मुसलमानों को इस किसम का आरक्षण कभी दिया गया था ?

उत्तर : जी हाँ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए २६ जुलाई १९०२ और २ ऑगष्ट १९०२ को अधिसुचनाऐं जारी कि गई थी दोनों ही अधिसुचनाओं में मुसलमानों का भी शुमार किया गया था.(और्डिनन्स नं. ५३ ०९-०७-२०१४ के मुताबीक)

२) भारतीय घटना के किन अनुच्छेद के नुसार यह अध्यादेश निकाला गया है ?

उत्तर : अनुच्छेद क्र. १५(४)(५) / १६(४) / ३०(१) / ४६ के मुताबिक स्वतंत्र वर्ग को कारक्षण देने की तरतुद घटना में है. (और्डिनन्स नं. ५३ ०९-०७-२०१४ के मुताबीक)

३) प्रांत अधिकारी को राज्य शासन इस ताल्लुक से कुछ निर्देश दे सकती है क्या ?

उत्तर : अध्यादेश के रकाना ७ के मुताबिक ऐसा प्रावधान किया गया है.(और्डिनन्स नं. ५३ ०९-०७-२०१४ के मुताबीक)

४) SBC-A में शामिल ५० प्रवर्ग के इलावा दुसरे प्रवर्ग के लोगों को अपने प्रवर्ग का नाम इस यादी में शामिल करने के लिए क्या रास्ता है ?

उत्तर : मुख्यमंत्री के पास वफद ले जाया जाए.

५) SBC-A के ताल्लुक से पिटीशन दाखील है. हम इके लिए क्या कर सकते है ?

उत्तर :हमे चाहिए के ज्यादा से ज्यादा लोग SBC-A सर्टिफिकेट बनवाए और इसका फायदा हासील करने की कोशीश करे. साथ ही हम इस पिटीशन मे SBC-A की मवाफेकत मे इंटरवेनर बने हे.आप लोगो की दुआए चाहिए.

Next to Vote RTI is only significance of Indian Democracy